तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18,संस्थागत क्षेत्र/18, Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग/ ShaheedJeet Singh Marg
नईदिल्ली-110016/NEW DELHI-110016
Tel: 011-26521841-260, 294
www.kvsangathan.nic.in

Comp. No.:32677
File No.:11-Adm2079(HIRE)/30/2025-Admn-I / 2287 - 2289 दिनांक : 02.12.2025
02-12-2025

उपायुक्त एवं निदेशक,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय एवं ZIET।

विषय: केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आवासीय परिसर स्थित आवासों को नियत अवधि से अधिक समय तक अपने अधिपत्य में रखने के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भित विषय में सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनका सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं ZIET द्वारा अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन / केन्द्रीय विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी, जो केन्द्रीय विद्यालय के आवासीय परिसर में निवासरत हैं, यदि स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, गंभीर बीमारी अथवा अन्य उपयुक्त कारणों से **नियत अवधि से अधिक** अवधि तक आवास अपने अधिपत्य में रखना चाहते हैं, तो उन्हें **निर्धारित/उचित माध्यम से समयावधि समाप्त होने की तिथि से कम-से-कम एक माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत** करना अनिवार्य होगा। एवं क्षेत्रीय कार्यालय /ZIET उक्त आवेदन को अविलंब केविस (मु.) को तुरंत प्रेषित करें । विलंब से प्राप्त आवेदन **स्वीकार नहीं किए जाएंगे**।
2. कोई भी कर्मचारी यदि सक्षम अधिकारी की **पूर्व अनुमति के बिना** नियत अवधि से अधिक अवधि तक केन्द्रीय विद्यालय के आवासीय परिसर में निवासरत पाया जाता है, या निवासरत है तो उसके विरुद्ध **नियमों के अनुसार** तत्काल आवश्यक **कार्रवाई** की जाएगी।
3. निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के पश्चात् आवास खाली न करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी से **नियमानुसार डैमेज रेंट (Damage Rent)** वसूल करने की कार्रवाई अपेक्षित होगी।
4. उक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित उपायुक्त एवं निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय/ZIET/संबन्धित प्राचार्य व Estate Officer (संपदा अधिकारी) की होगी।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

सोमित
(सोमित श्रीवास्तव)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

प्रतिलिपि:

1. सहायक आयुक्त (स्था.-I), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रस्तुत।
2. सहायक आयुक्त (आई.टी. सेल), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस पत्र को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करें।